प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 14 जुलाई, 2015**

विषय:- नवसृजित जनपद शामली में विकास भवन के निर्माण हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-635/बजट/वि0भ0नि0/2013-14 दिनांक 20-12-2013 एवं मुख्य विकास अधिकारी, शामली के पत्र संख्या-3528/विकास भवन निर्माण/2013-14, दिनांक 08-12-2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद शामली में विकास भवन के निर्माण हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 सूडा यूनिट प्रथम, मेरठ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (नियोजन विभाग) द्वारा आंकलित लागत (मूल्यांकन की प्रति संलग्न) रूपये 1152.80 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ बावन लाख अस्सी हजार मात्र) पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में रूपये 4.00 करोड़ (रूपये चार करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉं निर्गत किये जाने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दी गयी अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30-03-2015 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों का धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे। धनराशि को व्यय करने में इस प्रकार की रणनीति बनायी जायेगी कि जिससे फेजवाइज भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। भवन का निर्माण उसी एजेन्सी से कराया जायेगा, जिस पर ग्राम्य विकास विभाग की सहमति दी गयी है तथा सुसंगत शासकीय निर्माण कार्य निष्पादन विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण स्थल के परिवर्तन की स्थिति में शासन का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(4) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा आवश्यक परिव्यय की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का पुनरीक्षण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(7) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

(8) इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(9) उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(10) उक्त निर्माण कार्य स्वीकृति लागत से निर्धारित समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से सन्तुष्ट होने पर दूसरी किश्त प्रदान की जायेगी।

(11) प्रायोजनका निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप आयुक्त, ग्राम्य विकास/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, शामली द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(12) आयुक्त, ग्राम्य विकास/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, शामली द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(13) आयुक्त, ग्राम्य विकास/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, शामली का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित ड्राइंग/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन कर लिया गया है तथा इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इस सम्बन्ध में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि आयुक्त, ग्राम्य विकास/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, शामली एवं कार्यदायी संस्था द्वारा उक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाय।

(14) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियों को इस्तेमाल करना इत्यादि, प्रभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा, इसके अतिरिक्त प्रभाग द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर ग्राम्य विकास विभाग द्वारा तीन माह के अन्दर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(15) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पूर्व नवसृजित जनपद-अमेठी एवं जनपद कासगंज हेतु अनुमोदित 4278.71 वर्गमीटर कुर्सी क्षेत्रफल को ही अनुमन्य किया गया है।

-3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(16) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन विश्लेषण की प्रति संलग्न है। निर्माण कार्य तदनुसार ही सम्पादित किये जायें।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-सामुदायिक विकास-03-जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-यू0ओ0-581/दस-2015, दिनांक 06 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-13/2015सा0-407 (1)/38-2-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त, (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, शामली।
4- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, शामली।
5- कोषाधिकारी, शामली।
6- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, शामली।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
8- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 सूडा इकाई-प्रथम, मेरठ।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।